आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :लखनऊ,जनपद :हरदोई,तहसील :सवायजपुर
वाद संख्या :-00856/2019
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201910330500856
महाराजा हरिश्चन्द्र महाविद्यालय समिति द्वारा सचिव हरिश्चन्द्र तिवारी बनाम भूमि प्रबन्धक समिति
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

80 UPRC
T201910330500856

::- निर्णय ::-

प्रस्तुत वाद वादी महाराजा हरिश्चन्द्र महाविद्यालय समिति द्वारा प्रबन्धक हरिश्चन्द्र तिवारी पुत्र [illegible] निवासी [illegible] जिला फर्रुखाबाद की ओर से अन्तर्गत धारा-80 राजस्व संहिता दिनांक 14/3/2019 को इस अभिकथन के साथ संस्थित किया गया कि भूखण्ड संख्या-180/0.7590 हे0 ग्राम गौरखेड़ा परगना पाली तहसील,सवायजपुर जिला हरदोई के सं0भू0 श्रीमती [illegible] पत्नी [illegible] सिंह व [illegible] पाल सिंह पुत्रगण [illegible] सिंह थे। वादी ने उपरोक्त भूखण्ड को पूर्ण प्रतिफल अदा कर विक्रय-पत्र निष्पादित करवा लिया। विक्रय-पत्र के आधार पर वादी उपरोक्त भूखण्ड का सं0भू0 काबिज है। वादी के उपरोक्त भूखण्डों पर अरसा दराज से कृषि कार्य न होने से परती पड़ी है। उपरोक्त भूखण्ड का प्रयोग कृषि,बागवानी अथवा पशुपालन, मत्स्य पालन,कुक्कुट पालन आदि के लिए नहीं हो रहा है। वादी द्वारा उपरोक्त वर्णित भूखण्ड का प्रयोग कृषि से असम्बद्ध प्रयोजन के लिए करेगा, जिसके अन्तर्गत विद्यालय आवास आदि के लिए करेगा। अन्य तथ्यों को अंकित करते हुए भूखण्ड संख्या-180/0.7590 हे0 स्थित ग्राम गौरखेड़ा को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की याचना की गयी है।

वादी द्वारा वाद व्यय मु0-27,325/-रु0 चालान संख्या-2923 पर दिनांक 14/3/2019 को जमा कराना किया गया तथा वाद व्यय स्टाम्प द्वारा अदा किया गया। तत्पश्चात् वाद पंजीकृत कर तहसीलदार,सवायजपुर की आख्या दिनांक [illegible] /3/2019 को प्राप्त किया गया। तहसीलदार,सवायजपुर की आख्यानुसार,"ग्राम गौरखेड़ा परगना पाली तहसील,सवायजपुर जिला हरदोई की वर्तमान खतौनी खाता संख्या-220 गाटा संख्या-180/0.7590 हे0 को महाराजा हरिश्चन्द्र महाविद्यालय समिति द्वारा सचिव,हरिश्चन्द्र तिवारी नि0 [illegible] जिला फर्रुखाबाद द्वारा क्रय किया गया है। आवेदक उपरोक्त भूमि पर शिक्षा संस्थान स्थापित करने हेतु इसे अकृषिक घोषित कराना चाहता है। उपरोक्त भूमि [illegible] क्षेत्र की है तथा राजकीय अभिलेख में मिली हुई है। उक्त गाटा संख्या-[illegible] आदि से परती है तथा बंजर/झाड़ी के रूप में दिखायी देता है। वर्तमान समय में एक कमरा बन गया है, जिस पर टीन शेड पड़ा है।

पृ0सं0/-2 पर

उक्त भूमि की बाउन्ड्रीवाल का कार्य अनवरत जारी है। उक्त भू-भाग कृषि कार्य, बागवानी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन आदि के उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। उक्त गाटा संख्या गैर कृषि प्रयोजन कार्य में लिया जा रहा है तथा निर्माणाधीन है। अतः में उक्त गाटा संख्या-180/0.7590 हे0 को अकृषिक घोषित करने हेतु आख्या प्रस्तुत की गयी है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध उद्धरण खतौनी सन् 1425 से 1430 फ0 की खाता संख्या-220 पर अंकित गाटा संख्या-180/0.7590 हे0 श्रीमती पुष्पारानी पुत्री रवीन्द्रपाल सिंह नि0 शक्तिनगर कालोनी चन्दौली जिला [illegible] व नरेन्द्रपाल सिंह पुत्र [illegible] सिंह नि0 चितौली के नाम सहखातेदार भूमिधर दर्ज है तथा विवरण खाना में गाटा संख्या-180/0.7590 हे0 से नरेन्द्रपाल सिंह पुत्र [illegible] सिंह नि0 चितौली व पुष्पारानी पत्नी रविन्द्रपाल सिंह नि0 शक्तिनगर कालोनी चन्दौली का नाम निरस्त कर महाराजा हरिश्चन्द्र महाविद्यालय समिति द्वारा सचिव हरिश्चन्द्र तिवारी पु0 नन्दलाल तिवारी नि0 [illegible] जिला फैजाबाद का नाम दर्ज होने का आदेश अंकित है। इस प्रकार उपरोक्त भूखण्ड पर कृषि कार्य, बागवानी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन न होने के कारण अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है।

::- आदेश -::

अतः ग्राम गौरबेहरा परगना [illegible] तहसील, [illegible] की खतौनी सन् 1425 से 1430 फ0 की खाता संख्या-220 गाटा संख्या-180/0.7590 हे0 पर अंकित खातेदार महाराजा हरिश्चन्द्र महाविद्यालय समिति द्वारा सचिव हरिश्चन्द्र तिवारी पुत्र स्व0 नन्दलाल तिवारी नि0 [illegible] जिला फैजाबाद की भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की एक प्रति उप निबन्धक, [illegible] को भेजी जावे। पत्रावली व आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक [illegible] अगस्त, 2019

(उमेश मान सिंह)
उप जिलाधिकारी/अति0 कले0 प्रथम श्रेणी
[illegible]।

कार्यालय [illegible]
उप जिलाधिकारी
[illegible]

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल लखनऊ, जनपद हरदोई, तहसील सवायजपुर
वाद संख्या :-00856/2019
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201910330500856
महाराजा हरिश्चन्द्र महाविद्यालय समिति द्वारा सचिव हरिश्चन्द्र तिवारी बनाम भूमि प्रबन्धक समिति
अन्तर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

परवाना अमल दरामद

ग्राम गौरखेड़ा परगना पाली तहसील सवायजपुर की खतौनी सन 1425 से 1430 फ0 की खाता संख्या 220 गाटा संख्या 180/0.7590 है0 पर अंकित खातेदार महाराजा हरिश्चन्द्र महाविद्यालय समिति द्वारा सचिव हरिश्चन्द्र तिवारी पुत्र स्व0नन्दलाल तिवारी नि0बढ़पुर जिला फर्रुखाबाद की भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किया जाता वाद अमल दरामद परवाना एक प्रति न्यायालय वापस की जाये।

दिनांक– 24/8/19

24/8/19
(उदयभान सिंह)
उप जिलाधिकारी / असि0कले0प्रथम श्रेणी
सवायजपुर।

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी

न्यायालय उपजिलाधिकारी, सवायजपुर, तहसील सवायजपुर

वाद संख्या :-00857/2019

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201910330500857

महाराजा हरिश्चन्द्र महाविद्यालय समिति द्वारा सचिव हरिश्चन्द्र तिवारी बनाम कृषि प्रयोजन समिति

अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

::- निर्णय ::-

प्रस्तुत वाद वादी महाराजा हरिश्चन्द्र महाविद्यालय समिति द्वारा अध्यक्ष हरिश्चन्द्र तिवारी पुत्र नन्दलाल निवासी बहुपुर जिला फर्रूखाबाद की ओर से अन्तर्गत धारा-80 उ0प्र0 राजस्व संहिता दिनांक 14/3/2019 को इस अभिकथन के साथ योजित किया गया कि भूखण्ड संख्या-205/0.2060 हे0 का 1/2 अंश ग्राम गौरखेड़ा परगना पाली तहसील,सवायजपुर के संक्रमणीय भूमिधर श्रीमती राजरानी पत्नी रामशंकर निवासी सवायजपुर थी। उपरोक्त भूखण्ड के विक्रेता के समक्ष अंश का पूर्ण प्रतिफल अदा कर विक्रय-पत्र का निष्पादन वादी द्वारा करवाया गया। विक्रय-पत्र के आधार पर वादी उपरोक्त भूखण्ड पर सहखातेदार सं0 भू0 है। वादी के उपरोक्त भूखण्ड संख्या-205 का प्रयोग कृषि,बागवानी अथवा पशुपालन,मत्स्य पालन तथा कुक्कुट पालन आदि के लिए नहीं कर रहा है। उपरोक्त वर्णित भूखण्ड का प्रयोग वादी कृषि असंबद्ध प्रयोजन के लिए करेगा। जिसके अन्तर्गत विद्यालय आवास आदि सम्मिलित है,के लिए किया जायेगा। उक्त तथ्यों को इंगित करते हुए भूखण्ड संख्या-205 के 1/2 अंश रकबा 0.1030 हे0 स्थित ग्राम गौरखेड़ा को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की याचना की गयी है।

वादी द्वारा वाद व्यय रु0-2,472/-रु0 चालान संख्या-3208 पर दिनांक 14/3/2019 को जमा कराया किया गया तथा वाद व्यय स्टाम्प द्वारा अदा किया गया। तत्पश्चात् वाद पंजीकृत कर तहसीलदार,सवायजपुर की आख्या दिनांक 23/3/2019 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार,सवायजपुर की आख्यानुसार,"ग्राम गौरखेड़ा परगना पाली तहसील,सवायजपुर जि0 हरदोई की वर्तमान खतौनी खाता संख्या-186 पर अंकित गाटा संख्या-205मि रकबा 0.2060 हे0 के 1/2 भू-भाग क्षेत्रफल 0.1030 हे0 पर महाराजा हरिश्चन्द्र महाविद्यालय समिति द्वारा सचिव हरिश्चन्द्र तिवारी पुत्र स्व0 नन्दलाल नि0 बहुपुर जिला फर्रूखाबाद का नाम अंकित है। उक्त भूखण्ड पर दीवाल का निर्माण कार्य चल रहा है। शेष भाग ऊसर टाहो के रूप में पड़ा है। उक्त गाटा संख्या कृषि कार्य,बागवानी,मत्स्य पालन कुक्कुट पालन आदि कार्यों में प्रयोग नहीं किया जा रहा है। उक्त गाटा संख्या गैर कृषि प्रयोजन कार्य में लिया

कृ0पृ0उ0/-2 पर

जा रहा है तथा निर्माणाधीन है। अन्त में गाटा संख्या-205मि0/0.1030 है0 को अनुचित घोषित किये जाने की आख्या प्रेषित की गयी है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध उद्धरण खतौनी सन् 1425 से 1430 फ0 की खाता संख्या-186 पर अंकित गाटा संख्या-205मि0/0.2060 है0 राजेन्द्र कुमार व राजेन्द्र कुमार पुत्रगण नत्थूलाल तथा राजरानी पत्नी रामशंकर के नाम सं0भू0 के रूप में दर्ज है तथा विवरण कालम में गाटा संख्या-205मि0/0.2060 है0 से विक्रेती राजरानी पत्नी रामशंकर का नाम निरस्त कर महाराजा हरिश्चन्द्र महाविद्यालय समिति द्वारा सचिव हरिश्चन्द्र तिवारी का नाम बरिये बैनामा दर्ज होने का आदेश अंकित है। उक्त गाटा संख्या-205मि0 के सहखातेदार, राजेन्द्रकुमार व राजेन्द्र कुमार पुत्रगण नत्थूलाल द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत कर कहा गया है कि गाटा संख्या-205मि0/0.1030 है0 को महाराजा हरिश्चन्द्र महाविद्यालय समिति द्वारा सचिव हरिश्चन्द्र तिवारी के पक्ष में अकृषिक घोषित किये जाने में हम सहखातेदारों को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त भूखण्ड पर कृषि कार्य, बागवानी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन आदि कार्य नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार उपरोक्त भूखण्ड के 1/2 भाग को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है।

::- आदेश ::-

अतः ग्राम गौरैया परगना पाली तहसील, सवायजपुर जिला हरदोई की खतौनी सन् 1425 से 1430 फ0 की खाता संख्या-186 गाटा संख्या-205मि0/0.2060 है0 के 1/2 भाग रकबा 0.1030 है0 पर अंकित खातेदार महाराजा हरिश्चन्द्र महाविद्यालय समिति द्वारा सचिव हरिश्चन्द्र तिवारी पुत्र स्व0 नन्दलाल तिवारी निवासी बढ़पुर जिला फर्रुखाबाद की भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की एक प्रति उप निबंधक, सवायजपुर को भेजी जावे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक: 4 जून, 2019

04/6/19
(उदयभान सिंह)
उप जिलाधिकारी/असि0 कलेक्टर प्रथम श्रे0,
सवायजपुर।

सत्यापित प्रतिलिपि
उप जिलाधिकारी
सवायजपुर

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :लखनऊ,जनपद :हरदोई,तहसील :सवायजपुर
वाद संख्या :-00857/2019
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201910330500857
महाराजा हरिश्चन्द्र महाविद्यालय समिति द्वारा सचिव हरिश्चन्द्र तिवारी बनाम भूमि प्रबन्धक समिति
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

परवाना अमल दरामद

ग्राम गौरखेड़ा परगना पाली तहसील सवायजपुर की खतौनी सन 1425 से 1430 फ0 की खाता संख्या 186 गाटा संख्या 206मि0 / 0.2060 हे0 के 1/2 भाग रकबा 0.1030 हे0 पर अंकित खातेदार महाराजा हरिश्चन्द्र महाविद्यालय समिति द्वारा सचिव हरिश्चन्द्र तिवारी पुत्र स्व0नन्दलाल तिवारी नि0बबपुर जिला फर्रुखाबाद की भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। बाद अमल दरामद परवाना एक प्रति न्यायालय वापस की जाये।

दिनांक:–

(उदयभान सिंह)
उप जिलाधिकारी / असि0कले0प्रथम श्रेणी
सवायजपुर।

उप जिलाधिकारी
सवायजपुर